कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या:एमई–3/2024/1553 लखनऊ:दिनांक:02/08/2024

पब्लिक नोटिस/महत्वपूर्ण सूचना

Seat Leaving Bond के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

शासनादेश संख्या–आई/676928/2024 दिनांक 26 जून 2024 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि **प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेशोपरान्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से Seat Leaving Bond धनराशि अथवा अर्थदण्ड लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एन0एम0सी0 के पत्र दिनांक 19.01.2024 के प्रस्तर–5 द्वारा दिये गये सुझाव के कम में यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रकिया से Debar कर दिया जायेगा।**

उक्त के कम मे सूचित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 26.6.2024 मे निहित प्राविधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024–25 से स्नातक/स्नातकोत्तर/सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों पर लागू किया जायेगा। शैक्षणिक सत्र 2024–25 से पूर्व के प्रवेशित अभ्यर्थियों पर शासनादेश दिनांक 26.6.2024 की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

महानिदेशक

संख्या:एमई–3/2024/ तद्दिनांक।